



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005

केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001

Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001

CIN : L40101DL1989GOI038121



दिनांक: 30 August, 2023

PGCIL/R/E/23/00305

Dileep,

1-74, st colony chekurapadu-523262 Andhra Pradesh

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 24 August, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (केन्द्रीय आयोजना एवं सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी

केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सैक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।

ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in

फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

(1. पालक निदेशक)
30/08/23

(ए. जगन्नाथ राव)

मुख्य महाप्रबंधक (केन्द्रीय आयोजना) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Email ID: cplo.cc@powergrid.co.in

Sub: Reply to RTI Request of Sh. Dileep, Prakasam, Andhra Pradesh
(RTI Regn. No. PGCIL/R/E/23/00305)

Sl. No.	Information sought:	Reply:
1.	power grid conduct at Field Supervisor Electrical Exame at 20-06-2023.When its Results is Declared.And How Many People are qualified.The Results Date is Required.Where is the Job Location for Selected candidates.	<p>The result for the post of Field Supervisor (Electrical) is presently under process. Accordingly, the information sought cannot be provided at this point of time.</p> <p>As regards Job Location, the query pertains to a future event and accordingly answer to this query does not qualify as "information" as per clause 2(f) of the RTI Act 2005.</p>

जाकिश
30/08/2023